

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 22.09.2021 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री भवानी शंकर, सदस्य
वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर।
5. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बैठक में 106 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नभाँति निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्डियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	हररूप पुत्र टीकम	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	करौली	-

2.	दलीप पुत्र बद्री प्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	चूरू	-
3.	गजानन्द किशनलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर
4.	दिनेश पहलवान हेतराम	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	भिवानी (हरियाणा)
5.	सुभाष पुत्र गिरधारी	उर्फ नेता	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	करौली
6.	रामप्रकाश प्रकाश पुत्र गोपाल	उर्फ	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बारां
7.	महावीर मीणा जानकीलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	कोटा
8.	हनुमान सिंह सुरज सिंह	पुत्र	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	सवाई माधोपुर
9.	आकाश जगदीश सिंह	उर्फ पुत्र भैरू	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाड़ा
10.	रामभरोसी भरोसी पुत्र हरिराम	उर्फ	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर
11.	नरेन्द्र कुमार बनवारीलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर
12.	कृपाल सिंह चन्द्र सिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड़
13.	गुड्डी पत्नी रमेश		महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर	जयपुर
14.	बबीता पत्नी नरेन्द्र शर्मा		केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर
15.	मनीष कुमार नरेन्द्र शर्मा	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर
16.	श्रीपाल सिंह उमराव सिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड़
17.	रवि कुमार राजपाल	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	सिरसा (हरियाणा)
18.	विनोद कुमार महेन्द्र सिंह	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	हनुमानगढ़

19.	अमृत उर्फ पप्पू पितराम	दरब पुत्र	विशिष्ट कारागृह, श्यालावास, दौसा	केन्द्रीय कारागृह	करौली	
20.	आशाराम रामधन	पुत्र	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह, अलवर	सवाई माधोपुर	
21.	दलीप कुमार रामनाथ	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह, जोधपुर	गोपालगंज (बिहार)	
22.	सुभाष मीणा सुगनाराम	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह, जोधपुर	झुंझुनू	
23.	वागाराम खीमाजी	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह, अलवर	पाली	
24.	रामदुलारी चन्दन सिंह	पत्नी	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह, जोधपुर	भरतपुर	
25.	मदनदास पूनमदास	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह, अलवर	जोधपुर	
26.	विनोद कुमार ईश्वर सिंह	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह, जोधपुर	सिरसा (हरियाणा)	
27.	मंशाराम लाखाराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह, अलवर	सिरोही	परिजन द्वारा देखभाल, भरण पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त ५२।
28.	रामदयाल मोहनलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	कोटा	बारां	
29.	मौनू उर्फ श्यामसिंह पुत्र शेरसिंह		केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह, अलवर	भरतपुर	
30.	छंगाराम रतनलाल	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह, अलवर	झुंझुनू	
31.	मनाराम नेतीराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह, जोधपुर	पाली	
32.	बुद्धिप्रकाश सैनी पुत्र भौरीलाल उर्फ भवंर लाल		केन्द्रीय जयपुर	कारागृह, जयपुर	जयपुर	
33.	मुकेश रामजीलाल	पुत्र	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह, अलवर	भरतपुर	
34.	कान्ती लाल खातरा	पुत्र	केन्द्रीय उदयपुर	कारागृह, उदयपुर	झुंगरपुर	

35.	लक्ष्मण जगन्नाथ	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बारां	
36.	अमरचन्द मूलचन्द	पुत्र	केन्द्रीय श्रीगंगानगर	कारागृह,	श्रीगंगानगर
37.	रामजीलाल भौरीलाल भवंर लाल	पुत्र उर्फ	केन्द्रीय जयपुर	कारागृह, जयपुर	
38.	शंकाराम नोनाराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	सिरोही
39.	मोहनलाल ओखाराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	जालोर
40.	अजीत सिंह रूपसिंह	पुत्र	केन्द्रीय जयपुर	कारागृह,	जयपुर
41.	ओमप्रकाश लिछमणराम	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	हनुमानगढ़ परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
42.	मुकेश उर्फ धाकड़ पुत्र मान सिंह उर्फ मानिया		केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	झुंझुनूं
43.	नेमीचन्द उदाराम	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	बीकानेर
44.	मुकेश अमरलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा		बारां
45.	गुरदेव सिंह उर्फ गैन्दू पुत्र पाल सिंह		केन्द्रीय श्रीगंगानगर	कारागृह,	श्रीगंगानगर
46.	गणेश नारायण पुत्र भौरीलाल उर्फ भंवर लाल		केन्द्रीय जयपुर	कारागृह,	जयपुर
47.	दयांशकर उर्फ देवराज पुत्र गणेश लाल		विशिष्टि कारागृह, दौसा	केन्द्रीय श्यालावास,	उदयपुर

48.	खाजू खां पुत्र अहमद खां	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह, कारागृह,	पाली	
49.	श्रीमती पूनी पल्ली सींगा	महिला बंदी सुधारगृह, जोधपुर	उदयपुर हाल-	पाली	परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शापथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
50.	प्रहलाद भौरीलाल भवंर लाल	पुत्र उर्फ	केन्द्रीय जयपुर	कारागृह, जयपुर	
51.	नवीन पुत्र मान सिंह उर्फ मानियां		केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह, कारागृह,	झुंझुनूं
52.	देवेन्द्र नागर पुत्र गोपाल लाल		केन्द्रीय कारागृह, कोटा		झालावाड़
53.	जगजीत पहलवान बलवन्त सिंह	सिंह पुत्र	केन्द्रीय श्रीगंगानगर	कारागृह, कारागृह,	श्रीगंगानगर

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के तहत साधारणतया व नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से वरियता में होने पर भी निमांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्डियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	सुखदेव पुत्र सुच्चा सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	वर्ष 2019 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थिति पर दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई एवं दिनांक 18.02.2021 को बंदी के अन्य बंदी दीतेन्द्र के साथ मिलकर मोबाइल छिपाने में मदद करने के कृत्य के कारण।

2.	सोनपाल पुत्र रामजीलाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
3.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
4.	मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
5.	रामसिंह पुत्र चमन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
6.	प्रभुलाल पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
7.	रुस्तम पुत्र मीरबाज खां	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	02 अन्य प्रकरणों में वांछित एवं दिनांक 24.08.2020 को जेलदण्ड से दण्डित।

8.	आसाराम उर्फ आसुमल पुत्र श्री थेवरदास उर्फ थाउमल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376(डी), 376 (2)एफ आई.पी.सी में शेष प्राकृत जीवन काल तक के दण्ड से दण्डित होने एवं अन्य प्रकरणों में वांछित।
9.	सुनील उर्फ समीर उर्फ लालू पुत्र प्रेम कुमार	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(1) आई.पी. सी. में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक् से विचार किया जा चुका है।
11.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	02 अन्य प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में वांछित।
12.	महावीर पुत्र मोहन शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में दण्डित होने के कारण।
13.	बनवारी पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में वांछित।
14.	रणजीत चौथमल	पुत्र केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(1)आई. पी.सी. सपठित धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण।
15.	अशोक जांगू पुत्र माधूराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में वांछित।
16.	राजेश कुमार पुत्र हरचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 14 वर्ष कारावास से दण्डित होने के कारण।
17.	रामस्वरूप पुत्र मनफुल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376(2)एफ (आई) व (एन) आई.पी.सी. में शेष प्राकृत जीवनकाल तक के दण्ड से दण्डित।

18.	महावीर बिट्टू बाबूराम	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(झ), 376(2)(ड) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
19.	जयवीर वीर भण्डारी पुत्र गिरज सिंह	उर्फ भण्डारी गिरज	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	प्रहलाद राजु मीणा	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	05 अन्य प्रकरणों में वांछित।
21.	विनोद मुरलीधर	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित तथा पैरोल फरारी के प्रकरण में विचाराधीन।
22.	तारासिंह तारैया डौंगर सिंह	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 14 अन्य प्रकरणों में वांछित।
23.	गिरज गुल्ला हरदान	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 (2जी) आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
24.	अजीत पुत्र सिंह	सिंह महेन्द्र	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
25.	जगराम भगवानाराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	03 अन्य प्रकरणों में वांछित।
26.	विजय कुमार पुत्र पारसनाथ		केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2 एफ एवं आई) आई.पी.सी. एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
27.	हीरालाल पुत्र भंवर लाल		केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5/6 सपठित धारा 29 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
28.	नरेन्द्र पुत्र सिंह	सिंह गोकुल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	लालाराम भीखाराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	दिनांक 20.11.2019 को जेलदण्ड से दण्डित।

3. अग्रेषित प्रकरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्ड्यत	जेल नाम, बंदी भुगत है।	जहां सजा रहा	विशेष विवरण
1.	विजयपाल पुत्र केशव सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।	
2.	बलवीर उर्फ राज पुत्र शंकर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।	
3.	बसंतसिंह आदपा नथीसिंह	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
4.	राजवीर रामफल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रकरण में बंदी के लाचार होने की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अधीक्षक, के.का. भरतपुर से क्या लाचारी है ? की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
5.	कैलाशी नथी सिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।

6.	भरत कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
7.	जगन्नाथ पुत्र सोवरन	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
8.	रब्बुल इस्लाम पुत्र आईसुदीन	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
9.	उपेन्द्र उर्फ सोनु पुत्र हवजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
10.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट एवं बंदी की माह अगस्त, 2020 व सितम्बर, 2020 में बंदी की क्या लाचारी थी ? के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
11.	प्रभुलाल खिमा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।

12.	जसवंत सोवरन	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
13.	अशोक हनुमान सिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रकरण में बंदी के लाचार होने की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अधीक्षक, के.का. बीकानेर से बंदी की क्या लाचारी है ? की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
14.	धीमाराम भैराराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
15.	शिवकुमार शान्तिदेव	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
16.	राम भरोसी सहनी पुत्र प्रीतम सहनी	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बंदी तनाव ग्रसित बीमारी से ग्रसित होना बताया गया है अतः अधीक्षक, के.का. जयपुर से बंदी की बीमारी की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
17.	कुलदीप गुरदीप सिंह पुत्र मैजर सिंह	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

18.	लालु लालजी वागजी	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण, माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
19.	अकबर खाँ मुकरम पठान	पुत्र खाँ	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
20.	बन्नालाल गणेशलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
21.	समीर शाह सुनील शाह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
22.	उत्तमराय अभिनन्दन राय	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
23.	विक्रम कुमार पुत्र श्रवण कुमार		केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

24.	अनिल शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
-----	------------------------------------	---------------------------------	---

सदस्य सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	सदस्य महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	सदस्य वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-12) विभाग, राजस्थान जयपुर।	सदस्य कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	अध्यक्ष महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।